SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No	omplaint or report madeon
Name and address of the Complainant	A 26650
Name and address of the Complainant	2
animal Artist and	
Name , parentage, caste	
The officers convolutions of or	didyte of its alleged commission
	d date of, its alleged commission
आप पर आरोप है	कि दिनांक 29/01/ मुकाम
かんこう きょうしき まんちょうし	पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
. आधिपत्य भें	शराब विकथ / परिव्रहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आवकारी अधि	0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
: अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध	स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused	and his examination (if any)
अपराध स्थीकार है। यून दण्ड से दण्डित करने का	निवेदन है।

//निर्णय// (आज दिनांकं को घोषित)

01. <u>अभियुक्त</u> के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की घारा 34—1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समेरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के तहतं आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

कारिक परिने गायम सर्ग